न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 117/2025 G.C.M.S. No. 2025/560 दर्ज दिनांक : 14.08.2025

अपीलार्थी:

1. हनुमान पुत्र हरजी, जाति विश्नोई, निवासी अरणाय, तहसील सांचोर व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हीरा पुत्र गोरखा फौत के का.मु.–
   1/1 रूगनाथ पुत्र हीरा, जाति विश्नोई, निवासी लाछीवाड़ा, तहसील सांचोर।
2. आसुराम पुत्र हीरा फौत के का.मु.–
   2/1 रवि कुमार पुत्र आसुराम
   2/2 शांतादेवी पत्नि आसुराम, जाति विश्नोई, निवासी अरणाय
   2/3 किसनाराम पुत्र हीरा
   2/4 बाबुलाल पुत्र हीरा, जाति विश्नोई, निवासीगण लाछीवाड़ा
   2/5 लाडूराम पुत्र हीरा
3. जगमाल पुत्र रामचंद्र
4. बाबूराम पुत्र रामचंद्र, जाति विश्नोई, निवासी अरणाय, तहसील सांचोर व जिला जालोर।
5. भूमिधारी तहसीलदार सांचोर, तहसील सांचोर व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2021 बअनवान हीरा के का.मु. रूगनाथ वगैरह बनाम हनुमान वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री अशोक कुमार माली, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पारसमल बराडा, वर्षा विश्नोई, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2021 बअनवान हीरा के का.मु. रूगनाथ वगैरह बनाम हनुमान वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट्स ने दिनांक 19.02.2021 को वाद प्रस्तुत किया, जिसकी तामिल अपीलांट पर कभी नहीं हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी कि रिपोर्ट ऑनलाइन डिलीवरी को आधार मानकर एक तरफा कार्यवाही अपीलान्ट के खिलाफ की है जो अपीलांट के खिलाफ होने से तथा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तामील अपीलांट पर कभी नहीं होने से तथा ना ही डिलीवरी रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर होने के बावजूद एकतरफा कार्यवाही की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्ष्य के रूप में तमाम रेस्पोडेन्ट में से केवल जगमाल साक्ष्य के रूप मे एग्जामाइन हुआ है तथा अन्य कोई वादीगण साक्ष्य के रूप में हाजीर नहीं हुए हैं तथा एक अन्य गवाह गणपतलाल भी एग्जामाइन हुआ है। जिसने उपस्थित होकर न्यायालय में यह बयान दिये है कि जगमाल पुत्र रामचंद्र, बाबूलाल पुत्र रामचंद्र के खातेदारी खेत उतर दिशा में मेरा खातेदारी खेत आया हुआ है। जबकि वादग्रस्त आराजीयात के चारों दिशा में गणपतलाल का कोई खातेदारी खेत नहीं आया हुआ है। गणपतलाल पुत्र भाखराम दाता गांव का रहने वाला है, जो वादीगण का सगा भाणेज है। जिसने अधिनस्थ न्यायालय में झूठा बयान दिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में तहसील सांचोर ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की हैं तथा मौके पर तहसील की कोई टीम कभी नहीं गई हैं। उक्त तमाम विभाजन प्रस्ताव रेस्पोंडेन्ट के कहे अनुसार पटवारी ने कार्यालय में बैठकर तैयार किया है तथा मौके पर अपीलांट को कोई नोटिस तामिल नहीं करवाया है। स्वतंत्र मौतबिरान के रूप में कालुराम व किसनाराम के हस्ताक्षर करवाये हैं, जबकि कालुराम व किसनाराम चोराम गांव के रहने वाले हैं तथा स्वतंत्र मौतबिरान के रूप में गुमानाराम पुत्र खंगाराराम के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। जो गुमानाराम के हस्ताक्षर नहीं हैं। गुमानाराम ने कोई हस्ताक्षर नहीं किये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में रेस्पोडेन्ट की रिलिफ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ लैण्ड को प्राप्त करने की रही हैं तथा विभाजन प्रस्ताव भी उसी अनुसार मुर्तिब हुए हैं, जबकि वादग्रस्त आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 155, 188, 198 सम्पूर्ण पर कब्जा व काश्त अपीलांट का है तथा इसी आराजी में से रास्ता चलता है, जो खातेदारी खेत में कटान मार्ग है। उक्त आराजी सम्पूर्ण पर कब्जा व काश्त अपीलांट का होने के बावजूद तथा खसरा नम्बर 187 गैर मुमकिन ढ़ाणी अपीलांट की होने के बावजूद तथा इसी आराजी पर इन्द्रा आवासीय योजना के तहत राशि स्वीकृत होने से मकान भी निर्मित किया गया है तथा मकान पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है, जो अपीलांट के नाम से हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी उस वक्त हुई, जबकि रेस्पोंडेन्ट तमाम मौके पर आये एवं अपीलांट की आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 155 में जबरन उत्तर दिशा की तरफ कब्जा करने लगे तब अपीलांट ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि हमने न्यायालय से फैसला करवा दिया है। इसलिए जबरन कब्जा करेंगे जिस पर अपीलांट ने दिनांक 11.08.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पता किया तो उसके खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 11.08.2025 को नकल हेतु आवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया। जो नकल अपीलान्ट को दिनांक 11.08.2025 को प्राप्त हुई। इस प्रकार निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को दिनांक 11.08.2025 से पूर्व कभी नहीं रही, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए देरी को कंडोन करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जारिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट वादी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध संयुक्त खातेदारी आराजी के संबंध में एक वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर दिनांक 21.04.2025 को निर्णिव व अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 12.08.2025 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी उस वक्त हुई, जबकि रेस्पोंडेन्ट तमाम मौके पर आये एवं अपीलांट की आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 155 में जबरन उत्तर दिशा की तरफ कब्जा करने लगे तब अपीलांट ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि हमने न्यायालय से फैसला करवा दिया है। इसलिए जबरन कब्जा करेंगे जिस पर अपीलांट ने दिनांक 11.08.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पता किया तो उसके खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 11.08.2025 को नकल हेतु आवेदन किया। जो नकल अपीलान्ट को दिनांक 11.08.2025 को प्राप्त हुई। इस प्रकार निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को दिनांक 11.08.2025 से पूर्व कभी नहीं रही, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए देरी को कंडोन करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं, अपीलाधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय पारित किया गया है तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से कारित नहीं किया गया है। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त होने के कारण माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 की ओर से अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी के विभाजन बाबत प्रस्तुत वादपत्र में दिनांक 21.04.2025 को वादग्रस्त आराजीयात का माफिक राजस्व रेकर्ड रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार सांचोर द्वारा दिनांक 30.05.2025 को विधिवत नोटिस जारी करते हुए तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर आपीलांट प्रतिवादी हनुमान द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार का अंकन है।

5. उपलब्ध अभिलेख अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी अपीलांट का 1/3 हिस्सा निहित है।

6. विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव द्वारा हिस्से से कम आराजी प्रस्तावित नहीं की गई हैं, साथ ही अपीलांट को एक चक आराजी प्रस्तावित की गई हैं तथा प्रस्तावित आराजी रास्ते से लगती हुई हैं। अपीलांट को प्रस्तावित आराजी में से खसरा संख्या 187 गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा संख्या 188 किस्म बारानी दोयम का संपूर्ण रकबा, खसरा संख्या 198 किस्म बारानी दोयम का संपूर्ण रकबा तथा खसरा संख्या 155 किस्म बारानी दोयम में से 3.64 हैक्टेयर कुल 7.55 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई। उक्त आराजी खसरा नंबर 189 सामलाती गैर मुमकिन रास्ता से लगती हुई तथा इसके दोनों ओर स्थित है। अन्य पक्षकारान के हिस्से में प्रस्तावित कृषि भूमि की किस्म भी बारानी दोयम है। अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में नियम 20 व 21 की अक्षरशः अनुपालना की गई हैं। अतः इस संबंध में अपीलांट का उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

7. अपीलांट द्वारा यह उज्र भी लिया गया है कि विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार नहीं किया गया तथा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई, के संबंध में पूर्व विवेचन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव मौके पर तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया एवं अपीलांट स्वयं मौके पर उपस्थित था। जिसने हस्ताक्षर से इंकार किया। विभाजन प्रस्ताव द्वारा प्रार्थी को रास्ते से लगती हुई एक चक के रूप में प्रस्तावित की गई। अतः नियम 18 से 21 की भी अनुपालना की गई हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बालोतरा

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से इसी स्तर खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना, पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2021 बअनवान हीरा के का.मु. रूगनाथ वगैरह बनाम हनुमान वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2025 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली